न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **97/09 (वाद)**

1. श्रीमती शान्तादेवी पुत्री कन्नीराम यादव पत्नी छोगालाल यादव निवासी अडकिया हाल खरताणा तह. मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती हेमा उर्फ हेमलता पत्नी लच्छमण यादव निवासी कालाखेत, चमारिया खेडा पोस्ट फलीचडा तह. मावली।
2. श्रीमती लेहरी पत्नी ख्यालीलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्री भगवत पिता शंकरलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्रीमती सुगना पुत्री शंकरलाल पत्नी कानु यादव निवासी यादव चौकडी तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती छगनी बेवा शंकरलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
6. चमेलीबाई पुत्री सोहनलाल पत्नी छगनलाल यादव निवासी धनेरिया गढवाला तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
7. कंचनबाई पुत्री सोहनलाल पत्नी पन्नालाल यादव निवासी भीलवाडा जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी गंगाराम रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीयां।
2. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खरताणा तह. मावली जिला उदयपुर में निम्न आराजीयात स्थित है। परिशिष्ठ क में वर्णित आराजीयात आराजी नम्बर 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 1425, 2130/1409 किता 7 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा दर्ज हैं। उक्त खाते में प्रतिवादी सं. 2 का आराजी नम्बर 1425 में 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादीयां का दर्ज हैं। शेष आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व वादीयां का 1/2 हिस्सा अंकित हैं। परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात आराजी नम्बर 1133 मी., 1134, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1421, 1422 किता 9 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात में वादीयां का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीयां सं. 1 हेमा उर्फ हेमलता का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 से 7 का 1/2 हिस्सा

अंकित है। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 ने अपना आ. न. 1414 के अलावा सभी आराजीयात में विक्रय प्रतिवादी सं. 9 को विक्रय किया आ. न. 1414 को 1/8 हिस्सा विक्रय प्रतिवादी सं. 9 को कर दिया हैं।

2. मुझ वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 का सजरा निम्न प्रकार हैं –

टेकचन्द

दयाराम (मृत) पुत्र — कनीराम (मृत) पुत्र

केसरबाई (मृत) पत्नी लाऔलाद — प्रभुलाल (मृत) पुत्र — शान्ताबाई (पुत्री) वादीयां

हेमा उर्फ हेमलता
पत्नी नाते लच्छमण यादव नि. कालाखेत

3. यह कि स्व. केसरबाई पत्नी दयाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी व कब्जे की आराजीयात की वसीयत लिख नोटेरी लिखवाकर मुझ वादीयां के पक्ष में दिनांक 26.04.2006 को करवा दी और वाद पत्र के परिशिष्ठ "क" व "ख" में वर्णित आराजीयात मुझ वादीयां को वसीयत कर दी थी और मै वादीयां स्व. केसरबाई के कोई सन्तान नहीं होने से उनकी एकमात्र वारिस भी मैं ही हुं और स्व. केसरबाई की सेवाचाकरी भी मुझ वादीयां ने की व उनके हिस्से की आराजीयात भी मेरे ही कब्जे काश्त में हैं।

4. वादीयां के भाई प्रभुलाल का स्व. दिनांक 05.11.2000 को हो गया था और उनकी मृत्यु के एक माह पश्चात् लच्छमण पिता लूटर जी यादव निवासी कालाखेत के यहां जाति रितिरिवाजानुसार नाता विवाह कर चली गई और श्री लच्छमण जी की पत्नी बनकर उनके वही निवास कर रही हैं जिनके एक पुत्र भी है और चुनाव आयोग से उसने परिचय पत्र भी बनवाया हैं। ग्राम पंचायत फलीचडा से उसके नाम से वर्ष 2006 से जॉबकार्ड न. 2 जारी किया गया है और हेमा उर्फ हेमलता प्रतिवादी सं. 1 को स्व. प्रभु लाल पिता कनीराम उर्फ कन्हैयालाल की सम्पति में कोई हक या अधिकार नहीं रहा। उसने राजस्व अधिकारियों से मिलकर वर्ष 2007 में अपने आपको प्रभुलाल की पत्नी बताकर नामान्तरकरण सं. 785 दिनांक 15.01.2007 को अपने को वारिस पत्नी बताकर खुलवा लिया। जबकि उसने दूसरा विवाह नाता लच्छमण पिता लूटर जी यादव

से कर लिया था तब से वह प्रभुलाल की पत्नी नहीं थी राजस्व अधिकारियों से मिलकर गलत नामान्तरकरण खुलवाया हैं। पटवारी जी ने वंशावली में वादीयां शान्तिबाई पुत्री कनीराम का नाम अंकित किया था परन्तु पटवारी जी ने नामान्तरकरण में मुझ वादीयां शान्ताबाई का नाम अंकित नहीं किया। जबकि वादीयां की ओर से राजस्व अधिकारियों को कई मर्तबा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु वादीयां के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जबकि प्रतिवादीयां सं. 1 हेमा उर्फ हेमलता ने दूसरा नाता विवाह कर लिया। इसलिए प्रभुलाल की सम्पति में कोई हक या अधिकार नहीं रहा।

5. स्व. केसरबाई ने अपने जीवनकाल में मुझ वादीयां को वसीयत दिनांक 26.04.06 को कर दी थी उनकी वसीयत अनुसार एकमात्र मै वादीयां उनकी कृषि भूमि की वसीयत व विरासत से एकमात्र मालिक हुं और श्रीमती केसर बाई का स्वर्गवास दिनांक 18.08.2007 को हो गया और केसरबाई की मृत्यु से पूर्व ही प्रतिवादीयां सं. 1 हेमा उर्फ हेमलता वर्ष 2006 से लच्छमण जी के नाते चली गई व केसरबाई की कृषि भूमि में उनका कोई हक या अधिकार नहीं था राजस्व अधिकारियों से मिलकर नामान्तरकरण सं. 840 दिनांक 06.05.2008 को खुलवाया जबकि हेमा का स्व. केसरबाई पत्नी दयाराम की कृषि भूमि में कोई हक या अधिकार नहीं रहा। इसलिए उक्त नामान्तरकरण विधि के विपरीत खोला हैं।

6. प्रतिवादी सं. 2 लेहरीबाई ने दिनांक 27.07.2007 को 17,000/– सत्रह हजार रूपया के प्रतिफल में श्रीमती हेमा पत्नी प्रभुलाल यादव बताकर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाई। जबकि प्रतिवादी सं0. 1 हेमा 27.07.2007 को प्रभुलाल की विधवा नहीं थी, न पत्नी थी बल्कि लच्छमण पिता लुटर जी यादव निवासी कालाखेत की पत्नी थी और विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाने का उसे कोई अधिकार भी नहीं था और न श्रीमती हेमा का उक्त आराजीयात पर कब्जा ही था इसलिए कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही विक्रय करने का हेमा को अधिकार था। उक्त विक्रय पत्र फर्जी बनाया गया है जो वादीयां के मुकाबले शुन्य व बेअसर है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 हेमा को उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था और मुझ वादीयां जो विधवा होकर अनपढ महिला की कृषि भूमि को हडपने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 ने फर्जी रजिस्ट्री करवाई है।

7. वाद पत्र की धारा 1 के परिशिष्ठ क में वर्णित आराजीयात की वादीयां पूर्ण रूप से खातेदार काश्तकार है और अपने नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारीणी है व परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात में वादीयां का 1/2 व प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6, 7 का 1/2 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारीणी है उसे अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित कराने का अधिकार हैं।
8. वाद पत्र की धारा सं. 1 में परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात सामलाती होने से कृषि भूमि का विकास करने व ऋण लेने में काफी कठिनाई होती है इसलिए वादीयां अपने 1/2 हिस्से का बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के करवाने के अधिकारीणी हैं।
9. वादीयां ने प्रतिवादीगण को दिनांक 30.03.09 को उक्त आराजीयात अपने नाम व बंटवाडा करवाने के लिए कहा जिससे प्रतिवादीगण इन्कार गये। जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
10. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीयां के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण के इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की धारा सं. 1 के परिशिष्ठ क में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात की वादीयां को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और राजस्व रेकार्ड से अन्य प्रतिवादीगण सं. 1, 2 का नाम हटवाया जाकर वादीयां का नाम अंकित करवाया जावें। वाद पत्र की कलम सं. 1 में परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात में वादीयां 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6, 7 का 1/2 हिस्सा घोषित फरमाया जावे और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में भी वादीयां का 1/2 हिस्सा अंकित कराये जाने की डिक्री प्रदान फरमाई जावें। वाद पत्र की धारा सं. 1 के परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करवाया जावें एवं वादीयां के हिस्से में आई कृषि भूमि यदि अन्य सहखातेदार के कब्जे में हो का कब्जा वादीयां को दिलवाया जाने की डिक्री प्रदान फरमाई जावें। वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की धारा सं. 1 के परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजीयात में वादीयां के हिस्से में आए उस आराजीयात पर वादीयां को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे व अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करें, प्रतिवादीगण अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करावें, न स्वंय करे। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। धारा 209 राज.टि.एक्ट. के

अन्तर्गत वादीयां न्यायहित में अन्य कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारी हो वो प्रदान कराई जावें। वाद व्यय वादीयां को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

11. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। श्री लक्ष्मीबाई पत्नी गंगाराम रेगर को प्रतिवादी सं. 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 5 व 9 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमती हेमा पत्नी प्रभुलाल जी जाति यादव निवासी खरताणा वादगत जमीन की खातेदार काश्तकार थी, जिससे लहरीबाई पत्नी ख्यालीलाल जी ने फर्दन-फर्दन जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है तथा कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र की नकल साथ संलग्न है। इसी प्रकार भगवत, सुगना पिता शंकरलाल, छगनी बेवा शंकरलाल यादव निवासी खरताणा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी गंगाराम ने जमीन खरीदी है तथा विक्रय पत्र में दर्ज जमीन का कब्जा प्राप्त है, नकल साथ संलग्न है। क्रेतागण खरीदी गई जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं। वादीयां ने झुठा दावा पेश किया हैं। क्रेतागण ने खरीदी गई जमीन का विधिपुर्वक विक्रय पत्र का पंजीयन कराया है, कब्जा लिया है, इस जमीन के स्वामी है। जिससे हमे वंचित नहीं किया जा सकता है तथा क्रेतागण के विरूद्व किसी प्रकार की डिक्री पारित नहीं की जा सकती हैं।

12. **काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित जमीन में से श्रीमती लेहरीबाई पत्नी ख्यालीलाल जी रेगर ने व श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी गंगाराम जी रेगर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जमीन खरीदी है तथा विक्रय पत्र में दर्ज जमीन का कब्जा प्राप्त किया है तभी सें निरन्तर हमारा कब्जा काश्त कर रहे है। वादीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि वह हमारे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। न अन्य से करावें। वादीयां खरताणा में नहीं रहती है।

13. वादीयां का वाद रेवेन्यु कोर्ट में नहीं चल सकता हैं। रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों को जब तक वादीयां दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती, तब तक वह कोई वाद प्राप्त नहीं कर सकती हैं। राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाया है, लेकिन नोटिस नियमानुसार नहीं दिया है, जो आवश्यक है इसलिए वादीयां का वाद नोटिस नहीं दिये जाने से वाद खारीज होने योग्य है।

14. अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीयां को पाबंद किया जावे कि वह हमारी कब्जे काश्त वाली जमीन में प्रवेश नहीं करें। शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। वादीयां को विक्रय पत्र में दर्ज जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जावें। अन्य जो भी हम प्रतिवादीगण प्राप्त करने के हकदार है प्रदान कराई जावें। इस वाद का वाद शूल्क वादीयां से प्रतिवादीगण को दिलाया जावें।

15. वादीयां द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्रों में सुंयक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात हैं। आराजीयात का बिना बंटवाडा कराया कृषि भूमि के विशेष हिस्सें का विक्रय नहीं किया जा सकता हैं। श्रीमती लक्ष्मीबाई ने दिनांक 24.03.2009 को भगवत, सुगणा पिता शंकरलाल, छगनी बेवा शंकरलाल यादव से जमीन खरीदना बताया हैं। उक्त विक्रेताओं का 1/6 हिस्सा दर्ज है जिसमें से 30/234 वां हिस्सा विक्रय करना बताया हैं। बिना बंटवाडा विशेष हिस्सें का बेचान नहीं किया जा सकता हैं। श्रीमती लेहरीबाई ने श्रीमती हेमा से दिनांक 27.07.2007 को आराजी नम्बर 1425 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का 1/2 हिस्सा खरीदा हैं। उक्त भूमि बिना बंटवाडा विशेष हिस्सा विक्रय करना बताया जो अपने आपमें शून्य हैं और उसके आधार पर प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय से कोई दाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उक्त दोनों विक्रय पत्र अपने आपमें शून्य हैं। हेमा ने फर्जी रजिस्ट्री करवाई हैं क्योंकि विक्रय के समय हेमा प्रभुलाल की पत्नी नहीं थी बल्कि उसने जाति–रितिरिवाज के अनुसार लक्ष्मण के साथ दूसरा विवाह कर लिया। अतः स्व. प्रभु की कृषि भूमि में हेमा का कोई हक अधिकार नहीं हैं विक्रय अपने आपमें शून्य हैं। हेमा द्वारा हिस्सा विशेष पडोसों सहित अंकन कर विक्रय किया गया हैं जबकि कोई भी सहखातेदार किसी विशेष हिस्से का खातेदार कानूनन नहीं हो सकता हैं। विशेष हिस्सा बेचने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं हैं। अतः काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

16. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गईं।

   1. आया कि वादीयां वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम हटवा कर वादीयां का नाम घोषित कराने की अधिकारिणी हैं। ....वादीयां

2. आया वाद की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादीयां का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 3, 4, 5, 6, 7 का 1/2 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारी हैं। ....वादीयां
3. आया वादीयां वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात अपने 1/2 हिस्सें का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाडा कराने की अधिकारिणी हैं। ....वादीयां
4. आया वादीयां प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं। ....वादीयां
5. आया प्रतिवादीगण वादीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं। ....प्रतिवादीगण
6. अनुतोष।

17. प्रकरण में अधिवक्ता वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह बयान पीडब्ल्यू 1 श्रीमती शांतादेवी पुत्री कन्नीराम पत्नी छोगालाल, पीडब्ल्यू 2 श्री पप्पुलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री सन्तोष, पीडब्ल्यू 4 श्री डूंगरसिंह, पीडब्ल्यू 5 श्री बंशीलाल, पीडब्ल्यू 6 श्रीमती शान्ताबाई पत्नी बंशीलाल पेश किया गया।

18. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्रीमती लेहरीबाई, डीडब्ल्यू 2 श्री मोहन, डीडब्ल्यू 3 श्री शम्भुलाल, डीडब्ल्यू 4 श्री सुरेश, डीडब्ल्यू 5 श्रीमती लक्ष्मीबाई का पेश किया।

19. प्रकरण में वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 2, विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2007 प्रदर्श 3, वसीयत पत्र प्रदर्श 4, प्रभुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 हेमा का मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 7, ग्राम पंचायत फलीचडा का प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, नामान्तरकरण सं. 785 प्रदर्श 9 पेश किया गया।

20. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद के समर्थन में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2007 प्रदर्श 1ए, विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2008 प्रदर्श 2ए, जमाबन्दी प्रदर्श 3ए पेश किया गया।

21. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होना बताया जो बडी मां केसबाई से वसीयत से प्राप्त होने से केसरबाई का 1/2 हिस्सा वादीयां के नाम एवं अपने पिता कन्नीराम की 1/2 भूमि में से

भाई प्रभुलाल की मृत्यु होने से उसकी पत्नी हेमा जो प्रभुलाल के जीवनकाल में ही अन्यत्र नाते चली जाने से कोई हिस्सा हेमा का नहीं होने से अपने हिस्सें की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने का निवेदन किया।

22. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर DNJ(Rev.) 2013 page 185, DNJ(Rev.) 2013 page 191, RRT 2015(1) page 560, RRT 2004(2) page 970, RRT 2005(2) page 858, RRT 2001(2) page 1261 पेश कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने से काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

23. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस का अध्ययन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापुर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैं –

1. आया कि वादीयां वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम हटवा कर वादीयां का नाम घोषित कराने की अधिकारिणी हैं।
2. आया वाद की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादीयां का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 3, 4, 5, 6, 7 का 1/2 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारी हैं।
3. आया वादीयां वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात अपने 1/2 हिस्सें का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाडा कराने की अधिकारिणी हैं।
4. आया वादीयां प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

उक्त तनकी सं. 1 से 4 को साबित करने का भार वादीयां पर रहा। वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह बयान पीडब्ल्यू 1 श्रीमती शांतादेवी पुत्री कन्नीराम पत्नी छोगालाल, पीडब्ल्यू 2 श्री पप्पुलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री सन्तोष, पीडब्ल्यू 4 श्री डूंगरसिंह, पीडब्ल्यू 5 श्री बंशीलाल, पीडब्ल्यू 6 श्रीमती शान्ताबाई पत्नी बंशीलाल पेश किया गया। वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2064–67 प्रदर्श 2, विक्रय पत्र दिनांक 27.07.07

प्रदर्श 3, वसीयत पत्र प्रदर्श 4, प्रभुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, हेमा का मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 7, ग्राम पंचायत फलीचडा का प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, नामान्तरकरण सं. 785 प्रदर्श 9 पेश किया गया। वादीयां द्वारा श्री केसरबाई पत्नी दयाराम यादव, प्रभुलाल पिता कन्हैयालाल यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक भूमि होकर पूर्व में टेकचन्द के नाम दर्ज थी। जिसका सजरा वादीयां द्वारा वाद के कलम सं. 2 में वर्णित किया हैं जिसके अनुसार टेकचन्द के 2 पुत्र दयाराम व कन्नीराम हुए। दयाराम लाऔलाद फौत हुआ हैं। जिसकी पत्नी केसरबाई की भी दिनांक 18.08.2007 को मृत्यु हो गई। कन्नीराम के 2 वारिस प्रभुलाल पुत्र एवं शान्ताबाई पुत्री जो वादीयां हैं। उक्त सजरा प्रदर्श 9 नामान्तरकरण पर भी चस्पा हैं। प्रभुलाल भी लाऔलाद फौत होना बताया है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 05.11. 2000 को मृत्यु होना अंकित हैं। प्रभुलाल की पत्नी हेमा उर्फ हेमलता प्रभुलाल के जीवनकाल में ही लक्ष्मण यादव के नाते जाना बताया हैं। खातेदार श्री केसरबाई द्वारा वादीयां के पक्ष में एक वसीयत नामा 100/— के स्टाम्प पर नोटेरीसुदा दिनांक 26.04.2006 प्रदर्श 4 से करना बताया। चूंकि कन्नीराम की मृत्यु होने से वादग्रस्त भूमि अकेले प्रभुलाल के नाम पर दर्ज हो गई हैं जबकि वादीयां शान्ताबाई कन्नीराम की पुत्री होने से आधी भूमि शान्ताबाई के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी। दयाराम एवं प्रभुलाल के फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण ग्राम सम्पर्क अभियान 2007 में दिनांक 15.01.2007 में अभियान में स्वीकृत कर दयाराम की पत्नी केसरबाई एवं प्रभुलाल की पत्नी हेमा के नाम दर्ज कर दिया गया। शान्ताबाई का नाम अंकित नहीं किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि श्रीमती हेमा के नाम पर दर्ज होने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2007 एवं 25.09.2008 से प्रतिवादी सं. 2 लेहरीबाई को विक्रय कर दिया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पिता कन्नीराम की भूमि में से शान्ताबाई आधें हिस्सें की भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने की अधिकारी हैं एवं खातेदार केसरबाई द्वारा वादीयां के पक्ष में वसीयत कर देने से केसरबाई की मृत्यु के पश्चात् केसरबाई के हिस्सें की भूमि को वादीयां अपने नाम दर्ज करा कर हिस्सेनुसार बंटवाडा कराने की अधिकारी

हैं। अतः उक्त तनकी सं. 1 से 4 आंशिक रूप से वादीयां अपने पक्ष में निर्णित करानें में सफल रही हैं। उक्त तनकी सं. 1 से 4 आंशिक रूप से वादीयां के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

5. आया प्रतिवादीगण वादीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में गवाह शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्रीमती लेहरीबाई, डीडब्ल्यू 2 श्री मोहन, डीडब्ल्यू 3 श्री शम्भुलाल, डीडब्ल्यू 4 श्री सुरेश, डीडब्ल्यू 5 श्रीमती लक्ष्मीबाई पेश किया। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार बने हैं। प्रतिवादी सं. 1 हेमा को अपने हिस्सें तक भूमि का विक्रय करने का अधिकार हैं। अतः हेमा के हिस्सें तक की भूमि में क्रेता वादीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में आंशिक रूप से साबित कराने में सफल रहे हैं। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की जाती हैं।

24.उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीयां के पिता कन्नीराम के नाम पर पूर्व में दर्ज थी जो कन्नीराम की मृत्यु के पश्चात् अकेले कन्नीराम के पुत्र प्रभुलाल के नाम पर दर्ज हो गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पैतृक भूमि में वादीयां का हिस्सा बनता हैं। वादीयां अपने पिता के हिस्सें की भूमि में प्रभुलाल के साथ 1/2 हिस्सें की भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं। खातेदार केसरबाई की मृत्यु होने से केसरबाई के बजाय विरासत से शान्तिबाई एवं हेमा के नाम पर भूमि दर्ज कर ली गई हैं जबकि वादग्रस्त भूमि में खातेदार केसरबाई द्वारा वादीयां के पक्ष में दिनांक 26.04.2006 को वसीयत पत्र लिखने से केसरबाई की दिनांक 18.08.2007 को मृत्यु होने से मृत्यु के पश्चात् से ही वादीयां केसरबाई के हिस्सें की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं। चूंकि भूमि प्रभुलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रभुलाल की पत्नी हेमा के नाम पर दर्ज हो गई, हेमा ने उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दी हैं। चूंकि हेमा को अपने हिस्सें तक की भूमि को ही विक्रय करने का अधिकार होने से हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय अपने आपमें शून्य हैं। वादीयां हिस्सेनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवाडा कराने की अधिकारिणी हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हिस्सेंनुसार भूमि में प्रतिवादीगण वादीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार

पर वादीयां का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 2130/1409 किता 6 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 1425 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/4 व प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 1133 मी., 1134, 1409, 1412, 1413, 1415, 1422 किता 7 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/8 व प्रतिवादी सं. 1 को 1/8 हिस्सें एवं आराजी नम्बर 1414, 1421 किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/8 एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/8 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खातेदार जमाबन्दीनुसार यथावथ् रहें एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर 500/— कमिश्नर शूल्क पर तहसीलदार मावली को बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा किया जावें। बंटवाडें प्रस्ताव में पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस 2—2 प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। बंटवाडें के पश्चात् वादीयां व प्रतिवादीगण एक दूसरें के हिस्सें कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती शान्तादेवी पुत्री कन्नीराम यादव पत्नी छोगालाल यादव निवासी अडकिया हाल खरताणा तह. मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती हेमा उर्फ हेमलता पत्नी लच्छमण यादव निवासी कालाखेत, चमारिया खेडा पोस्ट फलीचडा तह. मावली।
2. श्रीमती लेहरी पत्नी ख्यालीलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्री भगवत पिता शंकरलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्रीमती सुगना पुत्री शंकरलाल पत्नी कालु यादव निवासी यादव चौकडी तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती छगनी बेवा शंकरलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
6. चमेलीबाई पुत्री सोहनलाल पत्नी छगनलाल यादव निवासी धनेरिया गढवाला तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।
7. कंचनबाई पुत्री सोहनलाल पत्नी पन्नालाल यादव निवासी भीलवाडा जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी गंगाराम रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 97/09 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 2130/1409 किता 6 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 1425 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/4 व प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, आराजी नम्बर 1133 मी., 1134, 1409, 1412, 1413, 1415, 1422 किता 7 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा

भूमि में वादीयां को 3/8 व प्रतिवादी सं. 1 को 1/8 हिस्सें एवं आराजी नम्बर 1414, 1421 किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादीयां को 3/8 एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/8 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खातेदार जमाबन्दीनुसार यथावथ् रहें एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर 500/– कमिश्नर शूल्क पर तहसीलदार मावली को बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा किया जावें। बंटवाडें प्रस्ताव में पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। बंटवाडें के पश्चात् वादीयां व प्रतिवादीगण एक दूसरें के हिस्सें कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.06.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली